



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09072021-228210
CG-DL-E-09072021-228210

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2548]
No. 2548]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 9, 2021/ आषाढ़ 18, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 9, 2021/ASHADHA 18, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 2021

का.आ. 2753(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4571 (E), जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा पंजाब राज्य के रूपनगर जिले में NH21 के कि.मी. 73.200 से कि.मी. 82.000 (किरतपुर-बिलासपुर सेक्शन) (श्री आनंदपुर साहिब जिला रूपनगर पंजाब 140001) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3A की उपधारा (3) के अधीन तारीख 08-01-2021 को अंग्रेजी ("द टाइम्स ऑफ इंडिया") और हिंदी ("दैनिक जागरण") और पंजाबी ("जग बानी") दिनांक 26-02-2021 में प्रकाशित किया गया है ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3D की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3D की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3D की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

पंजाब राज्य के रूपनगर जिले में NH21 के कि.मी. 73.200 से कि.मी. 82.000 (श्री आनंदपुर साहिब जिला रूपनगर पंजाब 140001) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: पंजाब		जिले का नाम: रूपनगर			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: आनंदपुर साहिब				
	गांव का नाम: चमरोली (336)				
1	156 Minn	निजी (प्राइवेट)	दरख्तान खेर	0.0209	अमर सिंह पुत्र सदाराम पुत्र बसंतु 1/3 शेयर, धर्म सिंह पुत्र रोशनु पुत्र बसंतु 1/3 शेयर, भूपिंदर सिंह पुत्र गुलजार सिंह पुत्र बीरचंद 1/6 शेयर, जसबीर सिंह पुत्र / गुलजार सिंह पुत्र बीर चंद 1/6 शेयर (156/1)
	गांव का नाम: मौरा (335)				
2	285 Minn	निजी	गैर मुमकिन रास्ता	0.0418	ग्राम पंचायत (285/1)
3	528	निजी	गैर मुमकिन रास्ता	0.0019	जुमला मुस्तरका वा दीगर हकदारन हसब रसद (528)
4	530	निजी	गैर मुमकिन रास्ता	0.0076	जुमला मुस्तरका वा दीगर हकदारन हसब रसद (530)
5	590	निजी	गैर मुमकिन आबादी	0.0532	रामसरूप पुत्र रामलाल पुत्र हीरा 1/6 भाग, देवी राम पुत्र राम लाल पुत्र हीरा 1/6 भाग, प्यारे लाल पुत्र राम लाल पुत्र हीरा 1/6 भाग, रतनी विधवा राम किसन पुत्र दसोंदी 1/10 भाग, हरी राम

					पुत्र राम किशन पुत्र दसोंदी 1/10 भाग, पहू राम पुत्र राम किशन पुत्र दसोंदी 1/10 भाग, सुख राम पुत्र राम किशन पुत्र दसोंदी 1/10 शेयर, सुच्चा राम पुत्र राम किशन पुत्र दसोंदी 1/10 भाग, (590)
6	591	निजी	गैर मुमकिन मकान	0.0437	देवी राम पुत्र राम लाल पुत्र हीरा 1/12 भाग, प्यारे लाल पुत्र राम लाल पुत्र हीरा 1/12 भाग, राम सरूप पुत्र राम लाल पुत्र हीरा 1/12 भाग, राम लोक पुत्र आत्मा राम पुत्र बग्गू 1/16 भाग, बालक राम पुत्र आत्मा राम पुत्र बग्गू 1/16 भाग, गोविंद राम पुत्र आत्मा राम पुत्र बग्गू 1/16 भाग, दाता राम पुत्र आत्मा राम पुत्र बग्गू 1/16 भाग, रतनी विधवा राम किशन पुत्र दसोंदी 1/20 भाग, हरी राम पुत्र राम किशन पुत्र दसोंदी 1/20 भाग, सुख राम पुत्र राम किशन पुत्र दसोंदी 1/20 भाग, सुच्चा राम पुत्र राम किशन पुत्र दसोंदी 1/20 भाग, पहू राम पुत्र राम किशन पुत्र दसोंदी 1/20 भाग, देस राज पुत्र रतन चंद पुत्र गंगा राम 1/8 भाग, कुलदीप चंद पुत्र रामधन पुत्र रतन चंद 1/16 भाग, मक्खन सिंह पुत्र रामधन पुत्र रतन चंद 1/16 भाग, (591)
			कुल	0.1691	

[फा. सं. 11012/2/2014/LA/PIU-SML/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th July, 2021

S.O. 2753(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, No. S.O. 4571(E) dated 17th December, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and

operation of NH21 on the stretch of land from Km. 73.200 to Km. 82.000 (Kiratpur-Bilaspur Section) in the district of RUPNAGAR in the state of PUNJAB

And whereas the substance of the said notification has been published in the newspaper English ("The Times of India") and Hindi ("Dainik Jagran") both dated 08-01-2021 and Punjabi ("Jag Bani") dated 26-02-2021; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH21 in the stretch of land from Km. 73.200 to Km. 82.000 (Shri Anandpur Sahib, Distt. Rupnagar (Pb) 140001) in the district of RUPNAGAR in the state of PUNJAB

State: PUNJAB		District: RUPNAGAR			
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Anandpur Sahib				
	Village: Chamrauli (336)				
1	156 Minn	Private	Drakhtann kher	0.0209	Amar Singh S/o Sadaram S/o Basantu 1/3 Share, Dharm Singh S/o Roshnu S/o Basantu 1/3 Share, Bhupinder Singh S/o Gulzar Singh S/o Beerchand 1/6 Share, Jasbir Singh S/o Gulzar Singh S/o Veer Chand 1/6 Share 156/1
	Village: Maura (335)				
2	285 Minn	Private	Gair mumkin Rasta	0.0418	Gram Panchayat 285/1
3	528	Private	Gair mumkin Rasta	0.0019	Jumla Mastraka Vaa Diggar Hakdaran Hasab Rasad 528
4	530	Private	Gair mumkin Rasta	0.0076	Jumla Mastraka Vaa digar Hakdaran Hasab Rasad 530
5	590	Private	Gair mumkin aabadi	0.0532	Ram Sarup S/o Ram Lal S/o Hira 1/6 share, Devi Ram S/o Ram Lal S/o Hira 1/6 share, Pyare Lal S/o Ram Lal S/o Hira 1/6 share, Ratani Widow Ram

					Kisan S/o Dasondi 1/10 share, Hari Ram S/o Ram Kishan S/o Dasondi 1/10 share, Pahu Ram S/o Ram Kishan S/o Dasondi 1/10 share, Sukh Ram S/o Ram Kishan S/o Dasondi 1/10 share, Sucha Ram S/o Ram Kishan S/o Dasondi 1/10 share, 590
6	591	Private	Gair mumkin mkan	0.0437	Devi Ram S/o Ram Lal S/o Heera 1/12 Share, Pyare Lal S/o Ram Lal S/o Heera 1/12 Share, Ram Swroop S/o Ram Lal S/o Heera 1/12 Share, Ram Lok S/o Atma Ram S/o Baggu 1/16 Share, Balak Ram S/o Atma Ram S/o Baggu 1/16 Share, Gobind Ram S/o Atma Ram S/o Baggu 1/16 share, Data Ram S/o Atma Ram S/o Baggu 1/16 Share, Rattni Widow Ram Kishan S/o Dasoudi 1/20 share, Hari Ram S/o Ram Kishan S/o Dasoudi 1/20 share, Sukh Ram S/o Ram Kishan S/o Dasoudi 1/20 share, Succha Ram S/o Ram Kishan, S/o Dasoudi 1/20 share, Pahu Ram S/o Ramkishan S/o Dasoudi 1/20 share, Deshraj S/o Rattan Chand S/o Ganga Ram 1/8 share, Kuldeep Chand S/o Ramdhan S/o Rattan Chand 1/16 Share, Makhan Singh S/o Ramdhan S/o Rattan Chand 1/16 share, 591
			TOTAL	0.1691	

[F. No. 11012/2/2014/LA/PIU-SML/3D]

RAJESH GUPTA, Director